



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222806
CG-DL-E-29102020-222806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3400]
No. 3400]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/कार्तिक 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3850(अ).—केन्द्रीय सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओडिशा राज्य में पारादीप-सोमनाथपुर-हल्दीआ से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन्स (भूमि उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिस को इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उससे उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री सनातन मल्लिक सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाईन्स प्रभाग क्वाटर नंबर -103 पीपीटी कॉलोनी मधुबन पारादीप पोस्ट बॉक्स संख्या 83 पारादीप मुख्य डाक घर पारादीप जिला-जगतसिंहपुर ओडिशा -754142 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

3(1) अनुसूची

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ पाइपलाइन पारियोजना						
जिला : जगतसिंहपुर				राज्य :- ओडिशा		
क्र.सं	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कुजंग	बगदिआ - 16	670	00	00	59
			653	00	13	50
			648	00	22	68
			332	00	06	84
			333	00	07	50
			329	00	00	80
			335	00	00	60
			337	00	00	40
			334	00	12	24
			336	00	00	80
			297	00	01	50
			296	00	01	30
			295	00	01	50
			294	00	01	50
			293	00	02	16
			292	00	03	42
			241	00	09	00
			223	00	01	10
			224	00	01	08
			222	00	09	00
			221	00	00	45
			197	00	12	96
			190	00	07	16
			191	00	02	56
			189	00	10	08
			188	00	04	86
			187	00	03	96
			155	00	00	40
2	कुजंग	जगती - 02	60	00	13	20
3	कुजंग	बिस्वाली - 62	26	00	03	20
			861	00	02	40
4	कुजंग	नरेन्द्रपुर - 12	1092	00	06	48

			1065	00	07	20
5	कुजंग	सिजु - 250	01	00	06	00

[फ.सं. आर-11025 (11) -2-2019-ओआर-I/ई 29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3850(E).—Whereas, it appears to the Indian Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Paradip - Somnathpur -Haldia a pipeline should be laid in State of Odisha by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Indian Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Sanatan Mallik, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division Quarter No. MC-103 PPT Colony, Madhuban Paradip. Post Box No. 83, Paradip Mukhya Dak Ghar, Paradip District – Jagatsinghpur, Odisha – 754142

SCHEDULE of 3(1)

Indian Oil Corporation Limited						
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PIPELINE PROJECT						
DISTRICT: JAGATSINGHPUR				STATE : ODISHA		
S.No.	Name of Tahasil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KUJANG	BAGADIA -16	670	00	00	59
			653	00	13	50
			648	00	22	68
			332	00	06	84
			333	00	07	50
			329	00	00	80
			335	00	00	60
			337	00	00	40
			334	00	12	24
			336	00	00	80
			297	00	01	50
			296	00	01	30

			295	00	01	50
			294	00	01	50
			293	00	02	16
			292	00	03	42
			241	00	09	00
			223	00	01	10
			224	00	01	08
			222	00	09	00
			221	00	00	45
			197	00	12	96
			190	00	07	16
			191	00	02	56
			189	00	10	08
			188	00	04	86
			187	00	03	96
			155	00	00	40
2	KUJANG	JAGATI -02	60	00	13	20
3	KUJANG	BISWALI - 62	26	00	03	20
			861	00	02	40
4	KUJANG	NARENDRAPUR -12	1092	00	06	48
			1065	00	07	20
5	KUJANG	SIJU -250	01	00	06	00

[F. No. R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3851(अ).—केन्द्रीय सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओडिशा राज्य में पारादीप-सोमनाथपुर-हल्दीआ से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन्स (भूमि उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिस को इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र कि प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री सनातन मल्लिक सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाईपलाईन्स प्रभाग क्वाटर नंबर -103 पीपीटी कॉलोनी मधुबन पारादीप पोस्ट बॉक्स संख्या 83 पारादीप मुख्य डाक घर पारादीप जिला-जगतसिंहपुर ओडिशा -754142 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

3(1) अनुसूची

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ पाइपलाईन पारियोजना						
जिला :- केन्द्रापड़ा				राज्य :- ओडिशा		
क्र.सं	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आली	सालिअंच -54	4058	00	07	77
			1397	00	00	41
			1401	00	02	47
			1399	00	03	77
			4042	00	00	79

[फा. सं. आर-11025 (11) -2-2019-ओआर-I/ई 29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3851(E).—Whereas, it appears to the Indian Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Paradip-Somnathpur -Haldia a pipeline should be laid in State of Odisha by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Indian Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Sanatan Mallik, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division Quarter No. MC-103 PPT Colony, Madhuban Paradip. Post Box No. 83, Paradip Mukhya Dak Ghar, Paradip District – Jagatsinghpur, Odisha – 754142

SCHEDULE of 3(1)

Indian Oil Corporation Limited						
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PIPELINE PROJECT						
DISTRICT : KENDRAPARA				STATE: ODISHA		
S.No.	Name of Tahasil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	AUL	SALIANCH -54	4058	00	07	77
			1397	00	00	41

			1401	00	02	47
			1399	00	03	77
			4042	00	00	79

[F. No. R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3852(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1262 तारीख 15 मार्च 2019 और का.आ. 1269 तारीख 28 मई 2019 जो भारत के राजपत्र संख्या 29 तारीख 14-20 जुलाई 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्रॉडक्ट पाइपलाइन पारियोजना”, तहसील- कुजंग, जिला- जगतसिंहपुर में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20.11.2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड					
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्रॉडक्ट पाइपलाईन पारियोजना					
तहसील का नाम:- कुजंग		जिला :- जगतसिंहपुर		राज्य :- ओडिशा	
क्र.सं	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्छाबनन्दपुर - 61	36	00	00	21
		37	00	05	68

		38	00	09	76
		39	00	09	73
		40	00	05	89
		43	00	11	86
		51	00	00	29
		50	00	01	68
		48	00	00	40
		49	00	03	34
		47	00	03	48
		729	00	01	53
		46	00	01	49
		80	00	04	14
		83	00	00	72
		81	00	00	61
		84	00	06	46
		87	00	04	39
		88	00	01	03
		89	00	01	21
		106	00	05	90
		113	00	05	41
		116	00	00	19
		104	00	03	74
		118	00	04	34
		103	00	00	49
		119	00	00	55
		138	00	00	63
		140	00	01	16
		142	00	03	75
		141	00	02	44
2.	तुनाकुआ - 13	653	00	03	08
		654	00	04	36
		656	00	08	37
		657	00	01	61
		658	00	09	36
3.	सिजु - 250	56	00	16	10
		61	00	00	89
		59	00	00	14
		62	00	00	27

		60	00	02	25
		63	00	03	09
		76	00	08	33
		77	00	12	06
		78	00	00	59
		80	00	03	54
		154	00	00	62
		73	00	07	66
		156	00	00	43
		211	00	12	36
		215	00	07	06
		216	00	08	20
		218	00	02	75
		217	00	06	82
		220	00	13	76
		221	00	02	12
		262	00	08	95
		263	00	03	92
		763	00	11	22
		761	00	01	84
		764	00	04	65
		759	00	00	36
		765	00	05	32
		768	00	01	94
		766	00	01	44
		767	00	13	83
		996	00	03	64
		994	00	11	36
		995	00	01	01
		993	00	05	27
		991	00	04	29
		990	00	05	66
		989	00	01	84
		988	00	01	89
		987	00	01	89
		986	00	00	20
		985	00	02	42
		984	00	01	90
		983	00	02	01
		982	00	03	30

		976	00	01	43
		973	00	03	26
		972	00	00	08
		974	00	03	78
		908	00	08	27
		910	00	07	16
		911	00	02	08
		912	00	04	80
		914	00	02	51
		915	00	05	43
		916	00	02	23
		917	00	02	13
		918	00	02	12
		919	00	02	06
		920	00	01	88
		921	00	00	37
		922	00	01	70
		923	00	02	00
		924	00	02	11
		925	00	02	31
		926	00	03	70
		927	00	06	53
		928	00	04	45
		883	00	00	15
		929	00	06	40
		930	00	03	75
		931	00	03	31
		932	00	06	09
		863	00	00	27
		933	00	05	22
4.	बगदिआ - 16	1187	00	02	23
		1860	00	20	36
		1848	00	20	58
		1849	00	00	62
		1847	00	00	56
		1846	00	37	28
		1844	00	16	85
		1843	00	15	63

		1188	00	04	50
		1189	00	29	36
		1190	00	30	93
		1191	00	04	45
		1192	00	01	89
		1739	00	02	75
		1193	00	08	89
		1698	00	27	14
		1700	00	10	82
		1710	00	06	24
		1670	00	00	74
		1665	00	10	03
		1666	00	02	72
		1664	00	04	98
		1667	00	01	70
		1668	00	00	20
		1392	00	11	61
		1385	00	01	37
		1391	00	09	99
		1386	00	00	18
		1387	00	00	91
		1390	00	11	15
		1388	00	06	10
		1389	00	14	45
		1370	00	10	63
		1371	00	11	29
		1360	00	20	16
		668	00	11	84
		669	00	04	92
		1871	00	15	37
		652	00	08	28
		647	00	01	10
		146	00	06	66
		145	00	01	06
		144	00	03	23

[फ.सं. आर-11025 (11) -2-2019-ओआर-I/ई 29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3852(E).—Whereas,Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 1262 dated 15th March 2019 and 1269 dated 28th May 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no. 29 on 14th to 20th July, 2019, Part- II, Section 3, Sub Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip – Somnathpur - Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Kujang Tahasil of Jagatsinghpur District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 20.11.2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED					
PARADIP-SOMNATHPUR-HALDIA PRODUCT PIPELINE PROJECT					
TAHASIL: KUJANG		DISTRICT : JAGATSINGHPUR		STATE: ODISHA	
S.No.	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	UCHHABANANDAPUR-61	36	00	00	21
		37	00	05	68
		38	00	09	76
		39	00	09	73
		40	00	05	89
		43	00	11	86
		51	00	00	29
		50	00	01	68
		48	00	00	40
		49	00	03	34
		47	00	03	48
		729	00	01	53
		46	00	01	49
		80	00	04	14
		83	00	00	72
		81	00	00	61
		84	00	06	46
		87	00	04	39
		88	00	01	03

		89	00	01	21
		106	00	05	90
		113	00	05	41
		116	00	00	19
		104	00	03	74
		118	00	04	34
		103	00	00	49
		119	00	00	55
		138	00	00	63
		140	00	01	16
		142	00	03	75
		141	00	02	44
2	NUNAKUA-13	653	00	03	08
		654	00	04	36
		656	00	08	37
		657	00	01	61
		658	00	09	36
3	SIJU-250	56	00	16	10
		61	00	00	89
		59	00	00	14
		62	00	00	27
		60	00	02	25
		63	00	03	09
		76	00	08	33
		77	00	12	06
		78	00	00	59
		80	00	03	54
		154	00	00	62
		73	00	07	66
		156	00	00	43
		211	00	12	36
		215	00	07	06
		216	00	08	20
		218	00	02	75
		217	00	06	82
		220	00	13	76
		221	00	02	12
		262	00	08	95
		263	00	03	92
		763	00	11	22
		761	00	01	84
		764	00	04	65
		759	00	00	36
		765	00	05	32
		768	00	01	94
		766	00	01	44
		767	00	13	83
		996	00	03	64
		994	00	11	36
		995	00	01	01
		993	00	05	27
		991	00	04	29
		990	00	05	66
		989	00	01	84
		988	00	01	89
		987	00	01	89
		986	00	00	20
		985	00	02	42

		984	00	01	90
		983	00	02	01
		982	00	03	30
		976	00	01	43
		973	00	03	26
		972	00	00	08
		974	00	03	78
		908	00	08	27
		910	00	07	16
		911	00	02	08
		912	00	04	80
		914	00	02	51
		915	00	05	43
		916	00	02	23
		917	00	02	13
		918	00	02	12
		919	00	02	06
		920	00	01	88
		921	00	00	37
		922	00	01	70
		923	00	02	00
		924	00	02	11
		925	00	02	31
		926	00	03	70
		927	00	06	53
		928	00	04	45
		883	00	00	15
		929	00	06	40
		930	00	03	75
		931	00	03	31
		932	00	06	09
		863	00	00	27
		933	00	05	22
4	BAGADIA - 16	1187	00	02	23
		1860	00	20	36
		1848	00	20	58
		1849	00	00	62
		1847	00	00	56
		1846	00	37	28
		1844	00	16	85
		1843	00	15	63
		1188	00	04	50
		1189	00	29	36
		1190	00	30	93
		1191	00	04	45
		1192	00	01	89
		1739	00	02	75
		1193	00	08	89
		1698	00	27	14
		1700	00	10	82
		1710	00	06	24
		1670	00	00	74
		1665	00	10	03
		1666	00	02	72
		1664	00	04	98
		1667	00	01	70
		1668	00	00	20
		1392	00	11	61
		1385	00	01	37

	1391	00	09	99
	1386	00	00	18
	1387	00	00	91
	1390	00	11	15
	1388	00	06	10
	1389	00	14	45
	1370	00	10	63
	1371	00	11	29
	1360	00	20	16
	668	00	11	84
	669	00	04	92
	1871	00	15	37
	652	00	08	28
	647	00	01	10
	146	00	06	66
	145	00	01	06
	144	00	03	23

[F. No. R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3853(अ).— केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1263 तारीख 15 मार्च 2019, जो भारत के राजपत्र संख्या 29 तारीख 14-20 जुलाई 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्राँडक्ट पाइपलाइन पारियोजना”, तहसील- महाकालपारा, जिला- केंद्रापड़ा में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 15.10.2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

6(1) अनुसूची

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ पाइपलाइन पारियोजना						
जिला :- केन्द्रापारा		राज्य :- ओडिशा				
क्र.सं	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महाकालपारा	नालिदिया - 269	7	00	00	01
			8	00	03	02
			9	00	53	58

[फ. सं. आर-11025 (11) -2-2019-ओआर-I/ई 29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2020

S.O. 3853(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 1263 dated 15th March, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no 29 on 14th to 20th July, 2019, Part- II, Section 3, Sub Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip – Somnathpur - Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Mahakalapara Tahasil of Kendrapara District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 15.10.2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE of 6(1)

Indian Oil Corporation Limited						
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PIPELINE PROJECT						
DISTRICT : KENDRAPARA				STATE: ODISHA		
S.No.	Name of Tahasil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MAHAKALAPARA	NALIDIA - 269	7	00	00	01
			8	00	03	02
			9	00	53	58

[F. No. R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.